



जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया JANANAYAK CHANDRASHEKHAR UNIVERSITY, BALLIA


Website : jncu.ac.in, E-mail : jncuballia@gmail.com

पत्रांक- जे0एन0सी0यू0-प0/सी0आ0/ 75 / 2017

दिनांक: 21 जुलाई, 2017


आवश्यक-सूचना

सूचित किया जाता है कि जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया की प्रथम प्रालेख परिनियमावली (मूलतः महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी की परिनियमावली) के प्रस्तर 14.01 (26) सपठित धारा 37 व 49(M) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अन्तर्गत मा0 कुलपति जी को स्नातक स्तर पर सीट वृद्धि किये जाने के प्राधिकार के अन्तर्गत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों को स्नातक कक्षाओं में सीट वृद्धि वांछित है तो कुलसचिव के समक्ष महाविद्यालय/संस्थान के प्रबन्धक/प्राचार्य द्वारा इस आशय का संयुक्त फोटोयुक्त नोटरी शपथ-पत्र कि, महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा सम्बद्धता की समस्त शर्तों को पूरा करता है तथा महाविद्यालय/संस्थान में शिक्षकों व अन्य संसाधनों की उपलब्धता है। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थानों से अपेक्षित है कि यदि वे अपने महाविद्यालय/संस्थान में स्नातक कक्षाओं में सीट वृद्धि कराना चाहते हैं तो दिनांक 05 अगस्त, 2017 तक विश्वविद्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर दें, उक्त तिथि के उपरान्त ऐसे आवेदन पर विचार किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।


21.7.2017
कृते कुलसचिव

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मा0 कुलपति जी, संज्ञानार्थ।
2. प्रबन्धक/प्राचार्य- समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थानों
3. समस्त सम्मानित दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय से कि वे अपने दैनिक समाचार पत्र में विद्यार्थियों के हित में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
4. सूचना पट्ट।


21/7
(अरुण कुमार यादव)
उप कुलसचिव